

111/18.3  
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।


क्रमांक:-एफ.4/मुख्या/याता/लेखा-(8)/2020/623

दिनांक:-18.3.2020

कार्यालय-आदेश

निगम बसों में विभिन्न मार्गों पर संचालित मंजिली वाहनों (Stage carriage) में दैनिक यात्रा (आना-जाना) करने वाले यात्रियों के लिए मासिक यात्रा पास योजना लागू है। मासिक यात्रा पर पूर्व में 60 प्रतिशत छूट होने से कार्ड की छूट का औचित्य नहीं होने से कार्ड बनाने की वास्तविक दर 40/-रु. ही ली जानी है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किए जाते हैं।

  
(नंदिनी जैन)  
प्रबंध निदेशक

क्रमांक:- एफ4/मु0/याता./लेखा(8)/2020/623

दिनांक: 18.03-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक, राज. परि. निगम, मुख्यालय-जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राज. परि. निगम, मुख्यालय-जयपुर।
3. महा प्रबंधक/संयुक्त महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक ( ) रा.प.नि.मु.जयपुर।
4. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम, -----
5. उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी) रा. प. निगम, मुख्यालय जयपुर।
6. उप महा प्रबंधक(आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश निगम वेबसाइट पर उपलब्ध करावें एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
7. सचिव, रा.प.नि.मु.जयपुर।
8. कार्यकारी प्रबंधक (जन-सम्पर्क) रापनि, मु.-जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार-प्रसार करावें।
9. कार्यकारी प्रबंधक ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय-जयपुर।
10. समस्त मुख्य प्रबंधक, राज. परि. निगम, ----- आगार
11. प्रबंधक (यातायात/वित्त/संचालन) राजस्थान परिवहन निगम, -----

  
(एम.पी.मीना)  
कार्यकारी निदेशक (यातायात)